


उक्त/अनुप पत्रावली लोक अदालत में  
पेश हुई। पक्षकारान् में समझाईश की गयी  
परन्तु राजीनामा नहीं हुआ। अतः पत्रावली  
नियमित न्यायालय में नियत दिनांक 26/9/14  
को पेश हो। 2

26/9/14

पत्रावली पेश हुई।

वारी व उक्त अधिवक्ता को कर-कर  
आवाजे लगाई गई। काण्ड कावाजे  
न्यायालय में अनुपस्थित है तथा न ही उनी  
न्याय से केवल वैधानिक प्रक्रिया उपस्थित  
है। अतः उक्त वारी कसम हाजरी - कसम  
पैरवी में खारिज किया जा रहा है।

पत्रावली अपने गहर से हथ होकर  
दाखिल कर रहा है।

  
(मुसारी कावरी) कावरी  
R03  
उपलब्ध अधिवक्ता  
कावरी